226

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19.. आवेदन सं० 1055 19.. 18-1-19.

सेवा में Ram Ratan Choudhary

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संक्षेपवाणी और अवभारों का प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य का अनुसार विवरण दे।)

तहसीलदार/अंचल द्वारा प्रमाणित किया है कि उक्त संपत्ति का अंतरण, उसमें भावी अंतरणवाली और अवभारों की जानकारी में मेरी में और उससे संबंधित अनुसूचियों में तथा 1-1-05 को या उसके पूर्व 19.. 45 Kos Indent तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संक्षेपवाणी और अवभारों का पता चला।

चला है कि: सरकार नहीं अन्य कोई

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निबंधन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और क्रमांक	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिपूर्ति के पृ० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Babakarpur.							
	Thana No — 35.							
	Halka — Lakhni Bigha.							
	Tauzi No — 5059.							
	Sr. No	Khata No.	Plot No	Area				
	1	38	401	13.164 dec. (4 Katha, 4 dhur, 3 Dhurki)				
	2.	38	401	4.179675 dec. (1 Katha, 6 dhur 15 Dhurki)				
	3.	53	399	10.85 dec. (3 Katha, 9 dhur, 10 Dhurki)				
	4.	38	400	2.875 dec. (18 dhur, 8 dhurki)				
	5.	38	400	8.125 dec.				
	6.	38	401	2.656 dec. (17 Dhur).				
	7.	53	399	4.25 dec. (1 Katha, 7 dhur, 4 Dhurki)				
	8.	53	399	8.5 dec. (2 Katha 14 dhur, 8 Dhurki)				
	9.	53	399	4.5 dec.				
	10.	53	399	8.5 dec. (2 Katha, 14 Dhur, 8 Dhurki)				

(हस्ताक्षर)

(पदनाम): VDO

तलासी का अधिपत्र और प्रमाणपत्र जारी किया जाने के लिए:

(हस्ताक्षर): Shankar

(पदनाम): V.D.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 19-1-19,

अपर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रदर्शित संव्यवहार (ट्रान्जैक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (पार्टी) और अनुकल्पार्थियों (इन्टेन्स) को प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के संबंधपत्रों के प्रमाण पत्रों को जारी की गई है उन्हें आवेदन करना होगा। निर्धारित फीस जमा भुगतान करने पर बहियाँ और अनुप्रमाणित्रियाँ उनके सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं ली है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की लिखी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद छूटे गये संव्यवहारों और अवभारों को प्रमाण के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए निबंधन आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक: अपर नि० कार्यालय - दानापुर

तारीख: 22/1/19

हस्ताक्षरक श्री: Ram Ratan Choudhary

का खतियान प्रमाण-पत्र द्वारा: Allahabad Bank. (Khajauli Br.) Patna.

का उनके पत्र संख्या: दिनांक: के प्रसंग में आवश्यक की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

SPL-40822-2000